संख्या-677/2026/1764/22-2-2023-17(1452)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 04 जून, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुन्ना पुत्र श्री गोकरन, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-12154/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023) दिनांक-13-04-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुन्ना पुत्र श्री गोकरन, जो ग्राम-गद्दीपुर, मजरा पौडावर, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 08.06.2006 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से से गोली मारकर पिन्टू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-414/2007, 415/2007 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 506 व 25(1-बी) एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-23.08.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 08.06.2006 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से गोली मारकर पिन्टू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुन्ना पुत्र श्री गोकरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुन्ना (बन्दी संख्या-17256) पुत्र श्री गोकरन, निवासी जनपद-सीतापुर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-677/2026/1764(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-677/2026/1764/22-2-2023-17(1452)/2023

दिनांक: 04 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुन्ना पुत्र श्री गोकरन, जो ग्राम-गद्दीपुर, मजरा पौडावर, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 08.06.2006 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से से गोली मारकर पिन्टू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-414/2007, 415/2007 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 506 व 25(1-बी) एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-04, सीतापुर के आदेश दिनांक 09.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-23.08.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 09 माह, 21 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 08.06.2006 को 04 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर बन्दूक व कट्टे से गोली मारकर पिन्टू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पुन्ना पुत्र श्री गोकरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।